25-10-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार-बार हाक/आवाज लगाई गई. किन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुए। प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने के इच्छुक नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। इसके अलावा मूल प्रकरण नम्बर से मुकदमा पेश हो। कार्यवाही तामील प्रकरण पेश हो 12/11/19 को पेश हो मूल वाद के संग में।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)